


FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत जिला कलक्टर अलवर मुकाम अलवर
 उनवान सरकार बनाम आविद वगैरे
 किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी आर बी एक्ट
 प्रा०पत्र नम्बर 15/50/2023 दायर दिनांक 02.03.2023

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
0.10.2023	<p>पत्रावली आज प्रार्थी वकील के प्रा०पत्र के आधार पर पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रकरण में वाहन पिकअप रजिस्ट्रेशन नम्बर आर.जे. 32 जी. बी. 3364 चैचिस संख्या MA1ZF2GHKF1C34787 इंजन नम्बर GHF1C24330 मॉडल 2015 को सुपुर्दगी पर दिये जाने बाबत थानाधिकारी थानाधिकारी थाना सदर, जिला अलवर से अभिशंषा/टिप्पणी ली गयी। मुकामी थानाधिकारी द्वारा पत्रांक 75 दिनांक 04.10.2023 के द्वारा रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि प्रकरण में जप्तशुदा वाहन से अनुसंधान हो चुका है, वाहन छोड़ दिया जाये तो कोई आपत्ति नहीं है। पुलिस थाना की अभिशंषा के आधार पर जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दनामे पर दिये जाने हेतु प्रा०पत्र स्वीकार किया जाता है। यदि प्रार्थी 5,00,000/- (शब्देन पांच लाख रुपये मात्र) का सुपुर्दनामा एवं इसी कदर तस्दीकशुदा जमानतनामा पेश करे तथा जप्तशुदा वाहन यदि किसी अन्य प्रकरण में वांछित ना हो तो प्रार्थी को उक्त वाहन सुपुर्दनामे पर दिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी सुपुर्दनामे पर दिये गये वाहन को खुर्द-बुर्द नहीं करेगा, जब भी उक्त वाहन की न्यायालय हाजा अथवा अन्य न्यायालय को आवश्यकता होगी तो वाहन को प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित राशि के जमानतनामा व सुपुर्दनामा पेश करने हेतु पत्रावली दिनांक 06.11.2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  जिला कलक्टर अलवर </p> <p>06/11/23 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपी० उप०/ अनु० पी०अपी० अतिरिक्त प्रकरण में व्यस्त हैं। पत्रावली दिनांक 06/11/23</p>	

